मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 064/2024

जगसीर सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— वादी

–:: बनाम ::–

1.सुखचरण सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, विनिमय

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 30.09.2024

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 18 जेआरके के खाता सं. 98 के प.नं. 45/249 की कुल 3.795 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1138/3795 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार व चक 13 एमओडी–ए के खाता सं. 62 के प.नं. 51/262 की कुल 5.034 हैक. मे से वादी का 923/20136 हिस्सा व चक 13 एमओडी–ए के खाता सं. 15 के प.नं. 51/262 के किला नं. 16/2, 16/4 कुल 0.1075 हैक. का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.01 12:28:06 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड. अधिकारी पीलीबंगा